न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
131/2021

तारीख फैसला
13.08.2022

उनवान

1– संतोष बाई उर्फ ममता बाई पुत्री स्व0 दानमल , पत्नी हरिओम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद हाल निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा
(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 172 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 275 की 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 41/495 की 2.40 हेक्टर कुल तीन किता की 4.80 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीनी सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074– 2077 संलग्न है।

यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमि वादीनी के पिता दानमल जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। दानमल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादीनी का नाम सहवन से ममता दर्ज हो गया , जो गलत है। वादीनी का नाम संतोष बाई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आई डी कार्ड में, आधार कार्ड व राशन कार्ड में सतोष बाई दर्ज है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम संतोषबाई के स्थान पर ममता दर्ज कर दिया है जिसके कारण वादीनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नही कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही हो रही है। इस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अत: वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 172 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 275 की 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 41/495 की 2.40 हेक्टर कुल तीन किता की 4.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:58 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम ममता पुत्री दानमल के स्थान पर संतोष बाई पुत्री दानमल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार ममता पुत्री दानमल व संतोषबाई पुत्री दानमल एक ही महिला होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादीनी का नाम ममता पुत्री दानमल के स्थान पर संतोषबाई पुत्री दानमल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 172 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 275 की 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 41/495 की 2.40 हेक्टर कुल तीन किता की 4.80 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम ममता पुत्री दानमल के स्थान पर संतोष बाई पुत्री दानमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– संतोष बाई उर्फ ममता बाई पुत्री स्व0 दानमल , पत्नी हरिओम जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद हाल निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 131/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 172 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 275 की 1.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 41/495 की 2.40 हेक्टर कुल तीन किता की 4.80 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम ममता पुत्री दानमल के स्थान पर संतोष बाई पुत्री दानमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बवत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:58 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner